**[1]प्ररूप सं. 66**

[नियम 11न देखिए]

**आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115फब के खंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट**

**1.** कंपनी का नाम : .....

**2.** स्थायी खाता संख्यांक : .....

**3.** निर्धारण वर्ष : .....

**4.** टनभार कर संबंधी विकल्प किस निर्धारण वर्ष से प्रभावी है : .....

**5.** टिप्पणियां, यदि कोई हों .....

**6.** (क) क्या अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार की बाबत पृथक् लेखाबहियां रखी जाती हैं हां ..... नहीं .....

(ख) यदि हां, तो रखी गई लेखाबहियों की सूची (लेखाबहियों को कम्प्यूटर प्रणाली में रखे जाने की दशा में ऐसी कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा तैयार लेखाबहियों का वर्णन करें)

(ग) जांच की गई लेखाबहियों की सूची

**7.** चार्टर्ड-इन संबंधी सीमा

धारा 115फफ के अधीन 49 प्रतिशत की सीमा को ध्यान में रखते हुए सही संगणना की गई है अथवा नहीं : .....

**8.** सुसंगत पोत परिवहन आय : .....

(*i*) धारा 115फझ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से लाभ, और .....

(*ii*) क्या आनुषंगिक क्रियाकलापों से लाभ मुख्य क्रियाकलापों से आवर्त के 0.25 प्रतिशत से अधिक है ? .....

**9.** टनभार कर आरक्षित खाता :

(*i*) बही लाभ को प्रमाणित करें .....

(*ii*) सृजित न्यूनतम आरक्षिती .....

(*iii*) धारा 115फन की उपधारा (3) के अधीन अधिकथित रीति में उपभोग की गई आरक्षिती .....

**10.** धारा 115फछ के अधीन टन भार कर की संगणना

| *अर्हक पोत का नाम | शुद्ध टन भार/ समझा गया टन भार | स्वामित्व वाला/ चार्टरित | चार्टर की किस्म** | दैनिक टन भार आय | प्रचालित दिवसों की संख्या | टन भार आय (5 × 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

**11.** कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों से संव्यवहारों के ब्यौरे

**12.** अवक्षयणः

I. यथास्थिति, अर्हक आस्तियों और अन्य आस्तियों की दशा में, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115फट के उपबंधों के अनुसार अवक्षयण की संगणना निम्नलिखित प्ररूप में [टन भार कर स्कीम में केवल प्रथम वर्ष की दशा में दी जाएगी] :

.....

II. यथास्थिति, प्रत्येक अर्हक आस्ति या अर्हक आस्ति समूह की बाबत आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की विशिष्टियां निम्नलिखित प्ररूप में होंगी :–

(क) आस्ति/आस्ति समूह का वर्णन .....

(ख) अवक्षयण की दर .....

(ग) यथास्थिति, वास्तविक लागत या अवलिखित मूल्य .....

(घ) वर्ष के दौरान वृद्धियां/कटौतियां तारीखों के साथ, किसी आस्ति की वृद्धि की दशा में, वह तारीख जिसके अंतर्गत उसका उपयोग आरंभ किया गया था जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के मद्दे समायोजन भी है -

(*i*) 1 मार्च, 1994 को या उसके पश्चात् अर्जित आस्तियों की बाबत, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 या केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अधीन दावाकृत और अनुज्ञात उपांतरित मूल्य वर्धित कर प्रत्यय,

.....

(*ii*) करेंसी की विनिमय दर में परिवर्तन, और

.....

(*iii*) साहायिकी या प्रतिपूर्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, की मंजूरी ।

.....

(ङ) अनुज्ञेय अवक्षयण

.....

(च) वर्ष के अंत में अवलिखित मूल्य

.....

**13.** टन भार कर कारबार के लिए अनन्य रूप से उपयोग न की गई आस्तियों (पोतों से भिन्न) के, यदि कोई हों, ब्यौरे ;

.....

**14.** अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से संबंधित हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों :

.....

* उस पोत के नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी आय को समझे गए टन भार के आधार पर संगणित किया गया है ।

** टाइम चार्टर, समुद्र यात्रा चार्टर, खाली नौका चार्टर और खाली नौका चार्टर-सह-हस्तांतरण आधार पर चार्टर-इन/चार्टर आउट का प्रमाणपत्र ।

**घोषणा**

*मैं/हम यह रिपोर्ट करता हूं/करते हैं कि ..... की कानूनी संपरीक्षा
(कंपनी के नाम, पते और स्थायी खाता संख्यांक का उल्लेख करें)

*मेरे/हमारे/मैसर्स ..... द्वारा की गई थी ।

*मैंने/हमने उक्त निर्धारिती के अर्हक पोतों के प्रचालन से उद्भूत लाभों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे ।

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार रिपोर्ट में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं ।

.....

हस्ताक्षर

#लेखापाल

तारीख .....

स्थान .....

**टिप्पण**

1. *जो लागू न हों, उसे काट दें ।

2. # यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है

(*i*) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

(*ii*) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए हकदार है ।

(*iii*) जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय के संबंध में उत्तर 'नहीं' में या सशर्त उत्तर दिया जाता है, वहां रिपोर्ट में उसके कारणों का कथन होगा ।

3. टी ई यू को एनटी में परिवर्तित करने संबंधी फार्मूला (स्लाट चार्टर)

(*i*) पोत परिवहन कंपनियां, आधानों की, उनके संबंध के आधान जलयानों पर लदाई करने के अतिरिक्त, विभिन्न मार्गों पर चलने वाले आधान पोतों (जो उनके स्वामित्व में नहीं हैं) पर स्लॉट किराए पर लेती हैं । इन स्लॉटों को, पूरे वर्ष भर, विभिन्न जलयानों में और भिन्न-भिन्न संख्याओं में सेक्टर समुद्र यात्रा के लिए या दीर्घकालिक आधार पर किराए पर लिया जा सकता है और इस प्रकार किसी ऐसे विशिष्ट जलयान की, जिस पर स्लॉट किराए पर लिया जाता है, पहचान करते हुए इसे शुद्ध टन भार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है । अतः, किराए पर लिए गए स्लॉटों को शुद्ध टन भार में संपरिवर्तित करने के लिए एक फार्मूला निकाला गया है । (इस टिप्पण के पश्चात् आने वाला कार्यपत्र देखिए ।)

(*ii*) दृष्टांत में, भारतीय पोत परिवहन निगम (एससीआई) एक विशिष्ट आधान जलयान 'आर. गांधी' के पैरामीटर पर विचार किया गया है । यह जलयान एससीआई द्वारा प्रचालित तीन सेक्टरों, अर्थात् इंडफेक्स सेवा (भारत से सुदूर पूर्व), आईएसई सेवा (यूके महाद्वीप से भारत) और इंडामेक्स सेवा (अमेरिका से भारत) में से किसी एक पर प्रचालन करता है ।

(*iii*) एक समुद्र यात्रा के अंतर्गत भारत में लदाई, विभिन्न मार्गस्थ पत्तनों पर और अंतिम गंतव्य स्थान पर उतराई और साथ ही साथ भारत में उतराई के लिए इन पत्तनों पर लदाई भी है । इस संपूर्ण चक्र को एक समुद्र यात्रा कहते हैं और जलयान पर बाहरी मंजिल पर अर्थात् भारत से अंतिम गंतव्य स्थान के लिए 1534 आधानों या टी ई यू (बीस फुट समतुल्य इकाई) की और आवक मंजिल पर, अर्थात् भारत के बाहर के अंतिम गंतव्य स्थान से भारत तक के लिए 1534 आधानों की लदाई हो सकती है । इस प्रकार, एक जलयान एक समुद्र यात्रा में 1534 × 2 अर्थात् 3068 टीईयू ले जा सकता है । अतः, जलयान द्वारा ले जाए जाने वाले 3068 टीईयू × एक वर्ष में पोत द्वारा की जा सकने वाली समुद्र यात्राओं की संख्या को फार्मूले के लिए एनटी में संपरिवर्तित किया गया है ।

(*iv*) स्लॉटों का बहु-उपयोगिता के आधार पर भी उपयोग किया जा सकता है । इस प्रकार, 1534 टी ई यू की क्षमता वाला कोई विशिष्ट जलयान वास्तव में टी ई यू की अपनी घोषित क्षमता से कहीं अधिक टी ई यू ले जा सकता है । इसी प्रकार कोई जलयान किसी एकल समुद्र यात्रा में अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार लदाई नहीं कर सकता और खाली आधान ले जा सकता है, जिनसे कोई राजस्व अर्जित नहीं होता । अतः सरलीकरण के लिए हम यह उपधारणा कर सकते हैं कि जलयान, केवल प्रत्येक सेक्टर समुद्र यात्रा में अपनी घोषित क्षमता के अनुसार लदाई करता है ।

**सारांश**

1 एन.टी : 19 सीबीएम, जब भार योग्य क्षमता परिमाण आधार ली जाती है

1 एन.टी. : 14 टी, जब भार योग्य क्षमता भार आधार पर ली जाती है

1 एन.टी. : 2.5 टीईयू, जब भार योग्य क्षमता टीईयू आधार पर ली जाती है ।

इस प्रकार समझा गया टन भार निम्नलिखित रूप में संगणित किया जाएगा :–

19 सीबीएम 1 एनटी के समतुल्य है

14 मीट्रिक टन 1 एनटी के समतुल्य है

2.5 टीईयू 1 एनटी के समतुल्य है

**टीईयू के लिए कार्यसूची : एनटी फार्मूला**

| | | | |
|---|---|---|---|
| क. | इंटफैक्स सेवा (सुदूर पूर्व से भारत ) | | |
| | जलयान का नाम आर. गांधी | एनटी | 9749 |
| | क्षमता 14 एमटी समरूप टीईयू की दर पर | | 1534 |
| | प्रचालन दिवस | 360 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | राउंड समुद्र यात्रा दिवस | | 35 | |
| | वहन किया गया सैद्धांतिक परिमाण | | | |
| | आधान वाहक | | | 13068 |
| | पूरी की गई समुद्र यात्राएं | | | 10.29 |
| | वार्षिक यातायात | | | 31557 |
| | टीईयू में एक एनटी के समतुल्य | | | 0.30894 |
| ख. | आईएसई सेवा (यू.के. महाद्वीप से भारत) | | | |
| | जलयान का नाम आर. गांधी | एनटी | | 9749 |
| | क्षमता 14 एमटी समरूप टीईयू की दर पर | | | 1534 |
| | प्रचालन दिवस | | 360 | |
| | राउंड समुद्र यात्रा दिवस | | 49 | |
| | वहन किया गया सैद्धांतिक परिमाण | | | |
| | आधान वाहक | | | 3068 |
| | पूरी की गई समुद्र यात्राएं | | | 7.35 |
| | वार्षिक यातायात | | | 22540 |
| | टीईयू में एक एनटी के समतुल्य | | | 0.43251 |
| ग. | इंडामेक्स सेवा (यूएसए से भारत) | | | |
| | जलयान का नाम आर. गांधी | एनटी | | 9749 |
| | क्षमता 14 एमटी समरूप टीईयू की दर पर | | | 1534 |
| | प्रचालन दिवस | | 360 | |
| | राउंड समुद्र यात्रा दिवस | | 56 | |
| | वहन किया गया सैद्धांतिक परिमाण | | | |
| | आधान वाहक | | | 3068 |
| | पूरी की गई समुद्र यात्राएं | | | 6.43 |
| | वार्षिक यातायात | | | 19723 |
| | टीईयू में एक एनटी के समतुल्य | | | 0.49429 |

टीईयू में 1 आईएनटी का औसत = $\frac{\text{ए + बी +सी}}{3}$ $\frac{1.23574}{3}$ = 0.41192

0.41 = 1 स्लॉट

1.025 एनटी 2.5 स्लॉट

अतः 1 एनटी = 2.5 टीईयू

4. एनटी (स्पेस चार्टर) में वहन किए गए स्थोरा (परिमाण और भार में) के संपरिवर्तन संबंधी फार्मूला

(*क*) स्थोरा की प्रमात्रा, जो ब्रेक प्रपुंज जलयान द्वारा वहन की जा सकती है, दो कारकों से निर्बंधित होती है (*i*) स्थोरा परिमाण, या (*ii*) स्थोरा का भार ।

(*ख*) चूंकि पूरा जलयान चार्टरित नहीं किया जाता है और केवल थोड़े से स्थान को ही जलयान में बुक किया जाता है, अतः शुद्ध टन भार (एनटी) में चार्टरित स्थान का संपरिवर्तन उपलब्ध नहीं होता इसलिए, किसी पोत पर वहन किए गए स्थोरा का इसके शुद्ध टन भार में संपरिवर्तन का फार्मूला निकाला गया है ।

(*ग*) यह फार्मूला शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्वधीन ब्रेक प्रपुंज जलयान 'एमवी स्टेट आफ नागालैंड' के

आधार पर निकाला गया है ।

जलयान के भौतिक पैरामीटर निम्न प्रकार हैं :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*i*) | जलयान का एनटी | : | 8294 |
| (*ii*) | जलयान का जीटी | : | 14166 |
| (*iii*) | क्यूबिक क्षमता | : | 26168 गट्ठा |
| (*iv*) | शून्य भार (डेड वेट) | : | 20574 एम/टी |
| (*v*) | बंकर + जल | : | 900 एम/टी |
| (*vi*) | स्थिरक भार + निरंतरता | : | 1000 एम/टी |
| (*vii*) | भार योग्य शून्य भार (डेट वेट) | : | |
| | (*iv*) – (*v*) – (*vi*) | : | 18675 एम/टी |

(*घ*) जलयान निम्न में से किसी पर भारित किया जा सकेगा –

- अधिकतम गट्ठा क्षमता (अर्थात् स्थोरा परिमाण द्वारा निर्बंधित अधिकतम क्षमता) ; या
- अधिकतम शून्य भार क्षमता (अर्थात् स्थोरा के भार द्वारा निर्बंधित अधिकतम क्षमता)

(*ङ*) "स्टेट ऑफ नागालैंड" एक विशिष्ट ब्रेक प्रपुंज जलयान है जो भारत से यू.के. महाद्वीप सेक्टर में प्रचालित है और वर्ष में 3 समुद्र यात्राएं पूरी कर सकता है । भारत-यू.के. महाद्वीप-भारत के संपूर्ण परिपथ को एक समुद्र यात्रा के रूप में माना जा सकता है (अर्थात् स्थोरा को भारत से ले जाया जाएगा और यू.के. महाद्वीप में उतारा जाएगा और वापसी पर, स्थोरा की यू.के. महाद्वीप में लदाई की जाएगी और भारत उतराई की जाएगी ।

(*च*) इस प्रकार जलयान, 26186 घन क्यूबिक मीट्रिक (सीबीएम), अर्थात् अनुज्ञेय अधिकतम परिमाण या अधिकतम 18675 मीट्रिक टन का स्थोरा अर्थात् अनुज्ञेय अधिकतम भार की अधिकतम गट्ठा क्षमता एक मार्गीय स्थोरा का वहन किया जा सकेगा ।

इस प्रकार शुद्ध टन भार (एनटी) में वहन किए गए स्थोरा का संपरिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हुए किया जा सकेगा कि क्या वहन की गई क्षमता परिमाण या भार द्वारा सीमित है । कार्यचालन इस आधार पर किया जाता है कि सामान्य ब्रेक प्रपुंज जलयान एक वर्ष की अवधि के दौरान कितना वहन कर सकेगा ।

**क. परिमाण द्वारा निर्बंधिक स्थोरा** - प्रत्येक मंजिल में अर्थात् भारत से यू.के. महाद्वीप और यू.के. महाद्वीप से भारत में जलयान अधिकतम 26186 घन मीटर गट्ठा क्षमता का वहन कर सकेगा । इस प्रकार एक समुद्र यात्रा में, जलयान 2 × 26186 घन मीटर वहन कर सकता है । अतः 3 समुद्र यात्राओं में जलयान 2 × 26 186 × 3 घन मीटर गट्ठा क्षमता वहन करेगा ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*i*) | भार योग्य गट्ठा क्षमता 26186 × 2 प्रति समुद्र यात्रा | : | 52372 घन मीटर |
| (*ii*) | पोत का शुद्ध टन भार (एनटी) | : | 8294 |
| (*iii*) | समुद्र यात्रा/वर्ष की अधितकम संख्या | : | 3 |
| (*iv*) | भार योग्य क्षमता 26186 घन मीटर × 2 × 3 | : | 157116 घन मीटर |

एनटी : स्थोरा (*iv*)/(*ii*) परिमाण पर आधारित घन मीटर

= (157116 घन मीटर/8294 एनटी)

1 एनटी = 18.94 घन मीटर

अर्थात् 19 घन मीटर

**ख. भार द्वारा निर्बंधित स्थोरा** - प्रत्येक मंजिल में अर्थात् भारत से यू.के. महाद्वीप और यू.के. महाद्वीप से भारत में जलयान अधिकतम 18675 मीट्रिक टन का स्थोरा भार वहन कर सकेगा । इस प्रकार एक समुद्र यात्रा में जलयान 1 × 18675 मीट्रिक टन वहन कर सकता है । अतः 3 समुद्र यात्राओं में जलयान 2 × 18675 × 3 मीट्रिक टन वहन करेगा ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*i*) | भार योग्य भार 18675 मी. × 2 प्रति यात्रा | : | 37350 मी. |
| (*ii*) | पोत का शुद्ध टन भार (एनटी) | : | 8294 |
| (*iii*) | समुद्र यात्राओं की वर्ष में अधिकतम संख्या | : | 3 |
| (*iv*) | भार योग्य क्षमता 18675 मी. × 2 × 3 | : | 112050 मी. |

एनटी : (*iv*)/(*ii*) के भार योग्य भार पर आधारित भार

= (112050 मी./ 8294 एनटी)

या 1 एनटी = 13.50

अर्थात् 14 मी.

परिणाम में भार योग्य क्षमता और भार को प्रतिवर्ष के आधार पर लिया जाएगा ।

**5.** सुसंगत पोत परिवहन आय के प्रयोजनार्थ आनुषंगिक क्रियाकलाप

(*क*) समुद्री परामर्शी प्रभार - प्रचालित पोतों के कारबार के अनुक्रम में किसी पोत परिवहन कंपनी द्वारा इसके द्वारा अन्य कंपनियों को, जिनमें ऐसी विशेषज्ञता नहीं है और जिनमें अन्य चीजों के साथ-साथ पोत परिवहन कारबार के गठन, पोत डिजाइन करने और मरम्मत तथा कारबार अर्जन आदि पर संबद्ध सलाह देना भी है, दी गई जानकारी के बदले प्राप्त समुद्रीय परामर्शी प्रभार ।

(*ख*) स्थोरा की लदाई/उतराई से अर्जित आय - पोत में और पोत से स्थोरा की लदाई और उतराई के संबंध में सेवाओं के लिए प्राप्त प्रभार (ऐसे प्रभार अभिवहन प्रभारों से पृथक् हैं)

(*ग*) प्रबंधित जलयानों के लिए पोत प्रबंधन फीस/पारिश्रमिक - अन्य पोत स्वामियों/अभिकरणों की ओर से जलयानों के प्रचालन की सेवाएं प्रदान करने और उनमें अनुरक्षण के संबंध में अर्जित फीस या पारिश्रमिक

(*घ*) समुदीय शिक्षा/भर्ती फीस - पोत परिवहन उद्योग के अन्य कार्मिकों को अतिरेक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने से किसी पोत परिवहन कंपनी द्वारा प्रभारित/उपार्जित प्रशिक्षण फीस और विदेशी पोत स्वामियों से स्क्रीनिंग, साक्षात्कार, सूची और प्लवमान कर्मचारिवृंद और अधिकारियों की भर्ती के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए उपार्जित फीस ।

**6.** चार्टर-इन (दृष्टांतस्वरूप उदाहरण) के लिए सीमा की संगणना करने के लिए शुद्ध टन भार के औसत का परिकलन

| *गेत सं* | *स्वामित्व/प्रचालन का प्रकार* | *शुद्ध टन भार* | *दिवसों की संख्या* | *टन दिवस* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *प्रचालन* | *चार्टर-इन* |
| 1 | बीबीसीडी आधार पर चार्टर्ड-इन अर्हित पोत | 11000 | 365 | 4015000 | |
| 2 | स्वामित्वाधीन अर्हित पोत | 15000 | 365 | 5475000 | |
| 3 | स्वामित्वाधीन अर्हित पोत किंतु 3 वर्ष से अधिक के लिए दूसरी कंपनी को बीबीसी आधार पर चार्टर्ड-आउट | 20000 | 365 | 0 | |
| 4 | बीबीसी आधार पर 5 वर्ष के लिए चार्टर्ड- इन अर्हित पोत | 12000 | 365 | 4380000 | 4380000 |
| 5 | अर्हित स्वामित्वाधीन पोत-टाइम चार्टर्ड- आउट | 10000 | 365 | 3650000 | - |
| 6 | अर्हित पोत-समुद्र यात्रा, चार्टर्ड-इन | 15000 | 60 | 900000 | 900000 |
| 7 | अर्हित पोत-टाइम चार्टर्ड-इन | 20000 | 120 | 2400000 | 2400000 |
| 8 | अर्हित पोत-टाइम चार्टर्ड-इन | 15000 | 365 | 5475000 | 5475000 |
| 9 | अर्हित पोत-चार्टर्ड-इन (स्लॉट चार्टर) | 6000 | 365 | 1825000 | 1825000 |
| 10 | अर्हित पोत- चार्टर्ड-इन (स्पेस चार्टर) | 6000 | 365 | 2190000 | 2190000 |
| | योग | | | 30310000 | 17170000 |

चार्टर्ड-इन टन भार की प्रतिशतता : (17170000/30310000) × 100 = 56.65%

चूंकि चार्टर्ड-इन शुद्ध टन भार की प्रतिशतता 49% से अधिक है, अतः धारा 115फफ के अनुसार, टन भार कर स्कीम के लिए कंपनी का विकल्प प्रभावी नहीं होगा ।